न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– रमेश देव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा – 552/2022 निर्णय दिनांक:– 20.12.2022

अमनदीप सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति सुथार सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 गुरतेज सिह पुत्र पाला सिह जाति सुथार सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक नगराना तह.संगरिया
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री परविन्द्र सिह – अधिवक्ता वादी
श्री कैलाश सिवल – अधिवक्ता प्रति स. 1

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 के नाम से चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2 खाता अमनदीप सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रति स. 1 ने अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधानुसार दावा की दफा 3 के अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है।लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 3 के अनुसार वादी के नाम अंकन करवा देवे तो वे वादी के उक्त निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। बस यही वाद कारण है।अतः चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2 खाता अमनदीप सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में वादी के नाम दर्ज 506/1265 हिस्सा आराजी मय गै.मु. आराजी का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग से कायम कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 2 की ओर से जवाब पेश किया गयै। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी अमनदीप सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी

20/12
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक बंटवारा वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के वाद का व प्रति स. 1 के काउण्ट क्लेम का कोई विरोध नही है।

बहस पर, मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2 खाता अमनदीप सिह वगैरा ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद का व प्रति स. 1 के काउण्टर क्लेम का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी व काउण्टर क्लेम प्रति स. 1 डिकी किया जाता है कि चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2 खाता अमनदीप सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में वादी के नाम दर्ज 506/1265 हिस्सा आराजी मय गै.मु. आराजी का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग से कायम कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

निज..........X.......... मुब्लिक..........X.......... बाबत..........X..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

20/12/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with OKEN Scanner

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
अमनदीप सिह पुत्र सुखदेव सिह जाति सुथार सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 गुरतेज सिह पुत्र पाला सिह जाति सुथार सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैक नगराना तह.संगरिया
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री परविन्द्र सिह – अधिवक्ता वादी
श्री कैलाश सिवल – अधिवक्ता प्रति स. 1

मु. स . 552/2022 . दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिह एड. वादी व श्री कैलाश सिंवल एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी व काउण्टर क्लेम प्रति स. 1 डिकी किया जाता है कि चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2 खाता अमनदीप सिह वगैरा ज.स. 2073–76 में वादी के नाम दर्ज 506/1265 हिस्सा आराजी मय गै.मु. आराजी का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग से कायम कर रकमराज अलग से कायम की जावे।दावा की दफा 3 व काउण्टर क्लेम की दफा 8 निम्न प्रकार से है:–

ए. अमनदीप सिह पुत्र सुखदेव सिह के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की आराजी:–
चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2

177/207	38	25/1/.228 25/2/.025
178/207	39	21/.253
		कुल 0.506 है0

बी. प्रति स. 1 गुरतेज सिह पुत्र पाला सिह के हक हिस्सा व कब्जा की आराजी:–
चक 11 एस.बी.एन. खाता स. 3/2

177/207	47	4/.253 5/1/.228 5/2/.025
178/208	46	1/.253
		कुल 0.759 है0 मय गै.मु.

निज.....x..... मुब्लिक.....x..... बाबत...1521/...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ...x... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक...20.12.2022... को जारी की गई।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

20/12/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official